प्रेस विज्ञप्ति

16/01/2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अल-फलाह समूह प्रकरण में जवाद अहमद सिद्दीकी एवं अन्य के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अभियोजन शिकायत दायर की है; अपराध की आय ₹493.24 करोड़ आंकी गई; ₹139.97 करोड़ मूल्य की संपत्तियाँ अनंतिम रूप से कुर्क की गईं हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट/अल-फलाह विश्वविद्यालय तथा संबद्ध संस्थानों/इकाइयों से संबंधित कथित रूप से अपराध की आय (पीओसी) के सृजन एवं शोधन से जुड़े मामले में जवाद अहमद सिद्दीकी एवं अन्य के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के अंतर्गत सक्षम पीएमएलए न्यायालय के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है।

ईडी की जांच दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज दिनांक 13.11.2025 की प्राथमिकी संख्या 337 एवं 338 तथा दिनांक 10.01.2026 की प्राथमिकी संख्या 0021 पर आधारित है। अब तक अपराध की आय (पीओसी) की राशि ₹493.24 करोड़ आंकी गई है। अपराध की आय का सृजन नियामकों/हितधारकों के समक्ष धोखाधड़ीपूर्ण गलत प्रस्तुतियों तथा उसके परिणामस्वरूप प्रवेश एवं शुल्क संग्रह के माध्यम से किया गया। इसके अतिरिक्त, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 5 के अंतर्गत ₹139.97 करोड़ मूल्य की अचल संपत्तियाँ (लगभग 54 एकड़ भूमि तथा उस पर निर्मित संरचनाएँ) अनंतिम रूप से कुर्क की गई हैं।

जांच के दौरान जवाद अहमद सिद्दीकी की सक्रिय भूमिका पाई गई है। अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट, अल-फलाह विश्वविद्यालय (जिसमें अल-फलाह स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर शामिल है) तथा संबंधित इकाइयों पर उनका प्रभावी एवं प्रमुख नियंत्रण स्थापित था और उन्हें अवैध रूप से अर्जित आय का प्रमुख लाभार्थी पाया गया है।

प्रबंध न्यासी एवं कुलाधिपति के रूप में उन्होंने पूर्ण प्रशासनिक, वित्तीय तथा परिचालन नियंत्रण का कार्य किया, जबकि अन्य पदाधिकारी नाममात्र/प्रॉक्सी व्यक्तियों के रूप में कार्य कर रहे थे। उनके द्वारा किए गए कुछ उल्लंघन निम्नलिखित हैं:

1. राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) स्थिति की गलत प्रस्तुति: घटक महाविद्यालयों की समाप्त हो चुकी एनएएसी मान्यताओं को कथित रूप से आधिकारिक/सार्वजनिक मंचों पर वैध दर्शाया गया, ताकि हितधारकों को गुमराह किया जा सके तथा प्रवेश के लिए प्रेरित किया जा सके।
2. यूजीसी धारा 12(बी) के संबंध में झूठे दावे: विश्वविद्यालय को यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 12(बी) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त के रूप में प्रस्तुत किया गया, जबकि वास्तव में वह केवल धारा 2(एफ) के अंतर्गत सूचीबद्ध था और उसे धारा 12(बी) के अंतर्गत पात्र घोषित नहीं किया गया था।
3. चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित अनुमोदन: चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना/संचालन में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) मानकों का उल्लंघन किया गया तथा भौतिक तथ्यों को गलत रूप से प्रस्तुत करने एवं महत्वपूर्ण तथ्यों का अधिक्रमण कर अनुमोदन/प्रमाणन प्राप्त किए गए।

जवाद अहमद सिद्दीकी द्वारा अपराध की आय (पीओसी) को पारिवारिक नियंत्रण वाली इकाइयों के माध्यम से परतबद्ध (लेयरिंग) किए जाने के तथ्य पाए गए हैं। संस्थागत निधियों को अमला एंटरप्राइजेज एलएलपी, कारकुन कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स, दियाला कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आदि सहित परिवार के स्वामित्व वाली इकाइयों के माध्यम से स्थानांतरित (रूट) किया गया।

जांच में विदेशी धन प्रेषण और धन की विदेश में हेराफेरी के मामले भी पाए गए हैं। उनकी पत्नी के पक्ष में ₹3 करोड़ से अधिक और पुत्र के पक्ष में लगभग ₹1 करोड़ के बाह्य विदेशी धन प्रेषण पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, अन्य विदेशी व्यवसाय/निवेश संबंधी लिंक भी पाए गए हैं।

जांच में पाया गया है कि चैरिटेबल/शैक्षिक संस्थाओं का उपयोग व्यक्तिगत/पारिवारिक/व्यावसायिक लाभ के साधन के रूप में किया गया।

यह उल्लेखनीय है कि जवाद अहमद सिद्दीकी को दिनांक 18.11.2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 19 के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया और वे वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।

अब तक यह पाया गया है कि ट्रस्ट ने उक्त प्राथमिकी से संबंधित अनुसूचित अपराधों को अंजाम देकर ₹493.24 करोड़ की अपराध की आय (पीओसी) का सृजन किया है। ट्रस्ट ने समाप्त होने के बाद भी एनएएसी 'ए' ग्रेड मान्यता के झूठे प्रदर्शन की अनुमति दी और यूजीसी धारा 12(बी) की स्थिति का भी झूठा प्रदर्शन किया, तथा चिकित्सा शिक्षा नियामकों (एनएमसी एवं डीएमईआर, हरियाणा) को गुमराह किया। ट्रस्ट ने ₹110 करोड़ से अधिक की राशि परिवार-नियंत्रित फर्मों के माध्यम से मार्गित (रूट) किया।

आगे की जांच और अभियोजन कानून के अनुसार जारी है।